

न्यायालय तहसीलदार, हमीरगढ़, जिला-भीलवाडा (राज0)

प्रकरण संख्या - 296/18

अनवान

पटवार हल्का मंगरौप बनाम श्री सुभू १/२ रामचणु दुरोगा
Rm मंगरौप

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक : 28.2.19

पत्रावली आज मुकाम हमीरगढ़ पर पेश हुई। मामला इस प्रकार है कि
ग्राम मंगरौप की आराजी नम्बर 223 रकबा 0.03 बिघनाम/चारग्रामह
/रास्ता की भूमि पर श्री सुभू पिता रामचणु जाति दुरोगा
निवासी मंगरौप के द्वारा नाजायज कब्जा करने से पटवारी हल्का मंगरौप के
द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

पटवारी हल्का के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर
अतिक्रमी को नियमानुसार राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी
किया गया। जिसकी पालना में अतिक्रमी उपस्थित/अनुपस्थित है। अतिक्रमी का अतिक्रमण
होने की ताईद स्वयं /अन्य उपस्थित व्यक्तियों से की गई जिसे उक्त भूमि पर अतिक्रमी का
अतिक्रमण होना सिद्ध पाया गया।

बावजूद सूचना के अतिक्रमी अनुपस्थित होने से एक तरफा कार्यवाही की गई।

अतिक्रमी की ओर से अपना नाजायज कब्जा पुराणा होने की ताईद नहीं की गई है
और इस कब्जा के नियमन योग्य दस्तावेजी साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे
अतिक्रमी का कब्जा नियमन योग्य नहीं पाया गया। साथ ही अपना कब्जा वैध होने के सबूत
पेश करने में भी अतिक्रमी असफल रहा। अतः अतिक्रमी का नाजायज कब्जा (अतिक्रमण)
निर्धारित दिनांक 01.01.2000 के बाद का माना जाता है जो कि नियमन योग्य नहीं है।

अतः ग्राम मंगरोप की आराजी नं. 227 रकबा 0-03 से अतिक्रमी श्री
पुत्र पिता रामचंद्र जाति द्वैजा निवासी मंगरोप को
बेखदखल किया जाने का आदेश दिया जाता है तथा शास्ति स्वरूप वार्षिक लगान न्यूनतम.....
रूपयें मानते हुए लगान 5.12 का पचास गुणा से 6/ रूपयें की शास्ति आरोपित की जाती
है। खडी फसल को जप्त सरकार कर नीलामी कार्यवाही की जावें। बाद नीलामी कार्यवाही ,
बेदखली तथा वसूली हेतु पटवारी हल्का को एवं मांग कायमी हेतु टी.आर.ए. को लिखा जावें।



निर्णय आज दिनांक 28.2.19 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सु
तहसीलदार हमीरगढ़
जिला अधिकारदाता हमीरगढ़